न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2014 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री खेमजी आत्मज धनजी भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री गौतम आत्मज धनजी भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री शान्तिलाल आत्मज धनजी भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री रंगजी आत्मज श्री धीरिया भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री रामचन्द्र आत्मज श्री धीरिया भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री भावला आत्मज श्री धीरिया भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. श्री बक्सु आत्मज श्री धीरिया भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. श्री मानसिंह आत्मज श्री धीरिया भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवारी हल्का वाडगून तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हीर जी आत्मज रूपला भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवार हल्का वाडगून तहसील घाटोल़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री हरिराम आत्मज रूपला भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवार हल्का वाडगून तहसील घाटोल़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री लालेंग आत्मज रूपला भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवार हल्का वाडगून तहसील घाटोल़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री नारायण आत्मज रूपला भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवार हल्का वाडगून तहसील घाटोल़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

5. श्री वीरजी आत्मज रूपला भील निवासी कानाडोकी का पाड़ा पटवार हल्का वाडगून तहसील घाटोल़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी घाटोल दिनांक 24–01–2014 प्रकरण
संख्या 29/2012 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री श्री हरिनारायण सोनी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 5

——————————

निर्णय **दिनांक 14–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व इन्द्राज दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही मूल पुरूष वेरिया पिता फतिया के पौत्र है, जिनका सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार है। वेरिया के तीन पुत्र रूपला, धनजी व धीरिया थे, जो तीनों फोत हो चुके है। रूपला के पुत्र प्रतिवादीगण है तथा धन जी व धीरिया के पुत्र वादीगण है। रियासत बांसवाड़ा के रेकार्ड सन् 1915–16 में ग्राम कानाडोकी में वेरिया का खाता संख्या 32 था। वेरिया की मृत्यु के बाद रूपला ने बड़ा पुत्र होने के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत कर धनजी व धीरिया को वंचित करते हुए खाता अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया। रूपला की मृत्यु के बाद विरासती उत्तराधिकार से भूमि उसके पुत्र प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। मूल खातेदार के 2 अन्य पुत्र धनजी व धीरिया के उत्तराधिकारी को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। भूमियों के नये व पुराने नंबर वादपत्र की कलम संख्या 7 अनुसार है। वादीगण के जानकारी होने पर प्रतिवादीगण ने सहमति देकर गवाहान की उपस्थिति में स्टाम्प पर वादपत्र की कलम संख्या 8 अनुसार विभाजन किया, परन्तु उक्त विभाजन की कियान्विति में प्रतिवादीगण आनाकानी करते है। वादीगण द्वारा विवादित

आराजीयात में स्वयं को भी सह–खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में खण्डन का जवाबदावा देते हुए भूमि को रूपला स्वयं की भूमि होना बताते हुए कब्जा भी अकेला रूपला का होना बताया।

प्रकरण में निम्नानुसार 10 तनकियात कायम की गई :–

1. **क्या वादीगण, वाद में वर्णित वंशावली के अनुसार ग्राम कानाडोकी का पाड़ा के मूल खातेदार वेरिया आत्मज फतिया के पौत्र है? ..... वादी**
2. **क्या वेरिया की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी 3 पुत्रों क्रमशः रूपला, धनजी एवं धारिया में से केवल एक पुत्र रूपला के नाम का ही उसकी खातेदारी में इन्द्राज किया गया तथा उसके शेष 2 पुत्रों धनजी एवं धारिया को खातेदारी में इन्द्राज करनेसे वंचित कर दिया गया ?**

....वादी

3. **क्या रूपला की मृत्यु के उपरांत केवल उसके उत्तराधिकारी पुत्रों के नाम ही नामान्तरण किया गया, तथा धनजी एवं धारिया की संतानों को खातेदारी में इन्द्राज से वंचित रक्खा गया? ..... वादी**
4. **क्या रूपला, धनजी एवं धारिया ने 3 स्टाम्प पत्रों पर पारिवारिक बंटवारा कर लिया था? तथा तद्नुसार वादीगण उन पर काबिज रहकर आज तक काश्त करते आ रहे है? ..... वादी**
5. **क्या रूपला ने उसके शेष 2 भाईयों के अशिक्षित होने के कारण योजना पूर्वक उन्हें उनके नामों का खातदेारी में इन्द्राज होने से वंचित किया था? ..... वादी**
6. **क्या वादग्रस्त भूमि रूपला की निजी भूमि थी एवं उसे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई थी? .....वादी**
7. **क्या पारिवारिक बंटवारा पत्र कूटरचित है तथा रूपला के उक्त बंटवारा पत्र पर हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है? .....वादी**
8. **क्या वादीगण अपने पिता धनजी एवं धारिया के जमाने से ही घरेलू बंटवारे के अन्तर्गत प्राप्त खसरों पर काश्त करते आ रहे है? ..... वादी**

9. क्या वादीगण के नामों का वेरिया पुत्र फतिया के पौत्र तथा धनजी एवं धारिया के पुत्र होने के कारण कानाडोकी पाडा के खाता संख्या 180 पुराना 171 में इन्द्राज न्याय संगत है? .....वादी

10. आया उक्त कृषि भूमि प्रतिवदीगण की निजी है तथा उक्त कृषि पैतृक नहीं है अतः वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी ही काबित होकर काश्त कर रहे तथा वदी का काबित होकर काश्त नहीं कर रहे है? ..... प्रतिवादीगण

प्रकरण में वादी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई। प्रतिवादीगण की और से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिंाक 24–1–2014 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 4–3–2014 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की। वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट द्वारा उठाये गये प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। लिखित बंटवारेनामे, साक्ष्य की विवेचना भी नहीं की गई है। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जाने के बावजूद वादी का वाद खारिज कर दिया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 10 तनकियात कायम की गई है, परन्तु जाब्ता दीवानी के

आज्ञापक प्रावधान आदेश–20, नियम–5 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर निबन्धात्मक अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया है, जबकि विधि अनुसार तनकीवार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंक 24–1–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि इस प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षकारान को पुनः सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
.**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **घाटोल** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**13**..... माह .....**03**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... **27**..... माह .....**06**..... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**..... माह ...**07**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।